



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक –31.08.2026

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु.अ.स. 203/2026 धारा 105/3(5)/351(3) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित 04 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ (01 अभियुक्त घायल अवस्था) किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे 02 खोखा व 02 जिंदा कारतूस .315 बोर, 01 लाईसेंसी रिवाल्वर (अनुज) व एक अवैध चाकू बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/ कार्यवाही-

=

दिनांक 30.08.2026 को थाना छपरौली पर वादी सागर मलिक पुत्र प्रमोद कुमार निवासी ग्राम सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. शिवम उर्फ हार्दिक पुत्र प्रमोद निवासी मोहल्ला गांधी नगर एलम थाना कांधला जनपद शामली, 2. अनुज पुत्र योगेन्द्र निवासी मोहल्ला प्रेमनगर एलम थाना कांधला जनपद शामली, 3. सरगम र पुत्र प्रवीण निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत व 4. शगुन पुत्र राजकुमार निवासी किराये का मकान वंडर सिटी थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ द्वारा सफेद रंग की स्फिट गाडी से आकर वादी के भाई पारस को जान से मारने की नियत से एक राय होकर तमंचे से फायर करना जिसमें वादी के भाई का बाल बाल बच जाना । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0



203/26 धारा 109(1),351(3),3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत किया था ।

घटना के दौरान ही 02 अभियुक्तों 1. शिवम उर्फ हार्दिक पुत्र प्रमोद निवासी मोहल्ला गांधी नगर एलम थाना कांधला जनपद शामिल व 2. अनुज पुत्र योगेन्द्र निवासी मोहल्ला प्रेमनगर एलम थाना कांधला जनपद शामिल को मौके पर ही वादी व जनता के लोगों द्वारा पकडकर थाने लाया गया, जिनके कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय नाल में फंसा एक खोखा कारतूस तथा 01 लाईसेंसी रिवाल्वर (अनुज के नाम से) बरामद हुई है ।

उपरोक्त घटना के बाद थाना छपरौली पुलिस टीम द्वारा फरार दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कोम्बिंग की गई तथा सघन चैकिंग की गई चैकिंग/कोम्बिंग के दौरान थाना छपरौली पुलिस टीम द्वारा थाने के मु.अ.स. 203/2026 धारा 105/3(5)/351(3) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित 02 अन्य वांछित अभियुक्तों सागर उर्फ सरगम व शगुन को बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अभियुक्त सागर उर्फ सरगम गोली लगने से घायल हुआ है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमन्चा 01 खोखा व 02 जिंदा कारतूस .315 बोर व एक अवैध चाकू तथा बरामद किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. शिवम उर्फ हार्दिक पुत्र प्रमोद निवासी मोहल्ला गांधी नगर एलम थाना कांधला जनपद शामिल ।
2. अनुज पुत्र योगेन्द्र निवासी मोहल्ला प्रेमनगर एलम थाना कांधला शामिल थाना छपरौली जनपद बागपत ।
3. सागर उर्फ सरगम पुत्र प्रवीण निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत (घायल अवस्था में)
4. शगुन पुत्र राजकुमार निवासी किराये का मकान वंडर सिटी थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ

बरामदगी का विवरण

- एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस
- 01 अवैध तमन्चा 01 खोखा व 02 जिंदा कारतूस .315 बोर
- एक अवैध चाकू ।

- 01 लाईसेंसी रिवाल्वर अनुज के नाम पर ।

.गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना छपरौली ।
- 2-उ0नि0 श्री नवनीत कुमार थाना छपरौली ।
- 3-उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह थाना छपरौली ।
- 4-है0का0 520 सरफराज थाना छपरौली ।
- 5-है0का0 708 कपिल वर्मा थाना छपरौली ।
- 6-है0का0 440 राशिद थाना छपरौली ।
- 7-है0का0 860 रवि सागर थाना छपरौली ।
- 8- का0 597 प्रेमपाल थाना छपरौली ।
- 9-रि0का0 361 आकाश कुमार थाना छपरौली ।
- 10-रि0का0 378 सचिन कुमार उपाध्याय थाना छपरौली ।

